राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2167/2016

बोदूराम यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.04.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:–

" Hence, this appeal is submitted and it is humbly prayed that the same kindly may allowed and accepted and further:-

(i) By appropriate orders, directions, instructions respondents be directed to allow the interest 18% per anum on gratuity amount Rs. 421839/- and commutation amount Rs. 320080/- w.e.f. 01.08.2008 to 23.05.2016

(ii) By appropriate, orders, directions, instructions interest @ 18% per annum on the interest amount be also awarded to the appellant.

(iii) Any other relief which the Hon'ble Tribunal thinks just and proper in the circumstances of the case be also allowed to humble appellant."

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी दिनांक 31.07.2008 को सेवानिवृत्त हुआ था। इसके पश्चात अपीलार्थी को प्रोविजनल पेंशन अदा की गई और ग्रेचुटी की राशि अदा नहीं की गई, क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण लम्बित था। अपीलार्थी को फौजदारी प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया, जिसके उपरांत अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ का बकाया भुगतान किया गया। आदेश दिनांक 23.05.2016 के द्वारा अपीलार्थी को पेंशन का कम्यूटेशन पेमेंट राशि 320080/– दी गई एवं दिनांक 23.05.2016 को ही ग्रेचुटी की राशि 421839/– अदा की गई। इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त सेवानिवृत्ति लाभ देरी से प्रदान किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी चूंकि फौजदारी प्रकरण से बरी हुआ है। ऐसे में अपीलार्थी को देरी से अदा की गई राशि पर नियमानुसार ब्याज राशि दिया जाना चाहिए।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 का नियम 89 निम्न प्रकार से हैं :–

> ''(1) यदि सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान उस तारीख से, जिसको इसका भुगतान देय हो, 60 दिन के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है, और यह सिद्ध हो जाता है कि भुगतान में विलम्ब, सरकारी कर्मचारी की ओर से, इस अध्याय में या इन नियमों में अन्यत्र अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहने के कारण नहीं हुआ था, तो सेवानिवृत्ति फायदों के देय होने की तारीख से उस माह, जिसमें सेवानिवृत्ति फायदे प्राधिकृत किये गये हैं, के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय होगा''

5. उपरोक्त नियम में सेवानिवृत्ति लाभ का देरी से भुगतान किये जाने पर उक्त लाभ पर ब्याज राशि दिये जाने का प्रावधान है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को जो ग्रेचुटी राशि और पेंशन की कम्यूटेशन राशि जो देरी से अदा की गई है, उस पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–89 के तहत ब्याज राशि अदा की जाये।
6. इस आदेश की पालना 4 माह में की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)